

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर

भादरसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. 281..... सन् 2025

125

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी
12/12/2025	<p>ग्रामीण सेवा शिविर 2025 रेडी में कृषि भूमि खाता सं. 108 के ख.नं. 343/116 तादादी 2.2002 है0, ख.नं. 345/119 तादादी 2.4405 है0, ख.नं. 356/146 तादादी 0.7081 है0, ख.नं. 368/180 तादादी 2.2887 है0 एवं ख.नं. 400/316 तादादी 5.0201 है0 रोही ग्राम भामरां भूमि का आपसी सहमति से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत विभाजन मय नकल नक्शा के तहसीलदार तारानगर के समक्ष पेश किया गया। भूमि वित्तिय संस्थान के रहन दर्ज होने के कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर के पत्र क्रमांक भू.अ./25/04 दिनांक 03.10.2025 से प्राप्त प्रस्ताव रिपोर्ट मय नकल नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम से सहखातेदारी दर्ज है तथा सभी सहखातेदार इकरारनामा खाता विभाजन करने हेतु सहमत है। उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। वित्तिय संस्थान के अनुपस्थित रहने पर उनके वित्तिय हित सुरक्षित रखते हुए तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./25/04 दिनांक 03.10.2025 के अवलोकन उपरान्त विवादित कृषिभूमि का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं. 108 के ख.नं. 343/116 तादादी 2.2002 है0, ख.नं. 345/119 तादादी 2.4405 है0, ख.नं. 356/146 तादादी 0.7081 है0, ख.नं. 368/180 तादादी 2.2887 है0 एवं ख.नं. 400/316 तादादी 5.0201 है0 रोही ग्राम भामरां का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.7492 है0, ख.नं. 343/116 मीन तादादी 1.7893 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 2.5385 हैक्ट. जिसे नक्शा में बरंग पीला से दर्शाया गया है जो कृष्णा देवी पत्नी रूघवीर सिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा में, ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.7492 है0, ख.नं. 400/316 मीन तादादी 1.7893 है0 कुल किता 02 तादादी 2.5385 है0 जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है जो भादरसिंह पुत्र तख्तसिंह उर्फ तखसिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा, ख.नं. 400/316 मीन तादादी 2.5036 है0, कुल किता 01 कुल तादादी 2.5036 है0 जिसे नक्शा में बरंग सफेद से दर्शाया गया है जो मंजू पत्नी सीताराम हिस्सा 1/2 एवं श्रवण कुमार पुत्र हरलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी रेवासी के हक हिस्सा में,</p>	

Signature

आअदालत -सहायक कलक्टर मुकाम - तारानगर

भादरसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा -वाद पत्र नं. सन् 2025

हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
	<p>ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.7492 है0, ख.नं. 345/119 मीन तादादी 1.7893 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 2.5385 है0 जिसे नक्शा में वरंग भूररा से दर्शाया गया है जो गजेन्द्रसिंह पुत्र तख्तसिंह उर्फ तखसिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा एवं ख.नं. 356/146 मीन तादादी 0.7081 है0, ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.0411 है0, ख.नं. 343/116 मीन तादादी 0.4109 है0, ख.नं. 345/119 मीन तादादी 0.6512 है0, ख.नं. 400/316 मीन तादादी 0.7272 है कुल किता 05 कुल तादादी 2.5385 है0 जिसे नक्शा में वरंग हरा जो नोपसिंह पुत्र तख्तसिंह उर्फ तखसिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा में रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसार खातेदारों का अलग से खाता विभाजन करते हुए दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शों में अमल दरामद करें। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./25/4 दिनांक 03.10.2025 तथा नकल नक्शा व पटवारी रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Jayendra</i></p>	

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix 'D')

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान भादरसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या ..2.81. वर्ष 2025

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूयरू हमारे हाजरी भादरसिंह, नोपसिंह, कृष्णा देवी, गजेन्द्रसिंह, मंजू एवं श्रवण कुमार मिनजानिब मुदई एवं राजपैरोकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता तथा अतः वाद वादीगण वरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि खाता सं. 108 के ख.नं. 343/116 तादादी 2.2002 है0, ख.नं. 345/119 तादादी 2.4405 है0, ख.नं. 356/146 तादादी 0.7081 है0, ख.नं. 368/180 तादादी 2.2887 है0 एवं ख.नं. 400/316 तादादी 5.0201 है0 रांही ग्राम भामरां का खाता विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.7492 है0, ख.नं. 343/116 मीन तादादी 1.7893 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 2.5385 हैक्ट. जिसे नक्शा में वरंग पीला से दर्शाया गया है जो कृष्णा देवी पत्नी रुघवीर सिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा में, ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.7492 है0, ख.नं. 400/316 मीन तादादी 1.7893 है0 कुल किता 02 तादादी 2.5385 है0 जिसे नक्शा में वरंग काला से दर्शाया गया है जो भादरसिंह पुत्र तख्तसिंह उर्फ तख्तसिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा, ख.नं. 400/316 मीन तादादी 2.5036 है0, कुल किता 01 कुल तादादी 2.5036 है0 जिसे नक्शा में वरंग सफेद से दर्शाया गया है जो मंजू पत्नी सीताराम हिस्सा 1/2 एवं श्रवण कुमार पुत्र हरलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी रेवासी के हक हिस्सा में, ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.7492 है0, ख.नं. 345/119 मीन तादादी 1.7893 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 2.5385 है0 जिसे नक्शा में वरंग भूरसा से दर्शाया गया है जो गजेन्द्रसिंह पुत्र तख्तसिंह उर्फ तख्तसिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा एवं ख.नं. 356/146 मीन तादादी 0.7081 है0, ख.नं. 368/180 मीन तादादी 0.0411 है0, ख.नं. 343/116 मीन तादादी 0.4109 है0, ख.नं. 345/119 मीन तादादी 0.6512 है0, ख.नं. 400/316 मीन तादादी 0.7272 है0 कुल किता 05 कुल तादादी 2.5385 है0 जिसे नक्शा में वरंग हरा जो नोपसिंह पुत्र तख्तसिंह उर्फ तख्तसिंह जाति राजपूत निवासी भामरां के हक हिस्सा में रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

वीज मुवलिग वावत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह
..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयादी तक को
अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख1.2. माह1.2. सन 2025 को जारी की गई।

राजेन्द्र कुमार
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	प.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

मुहर